

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(1)न्याय/22

जयपुर, दिनांक: 16.06.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	राजेन्द्र सिंह प्रथम	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी वित्त विधि प्रकोष्ठ, शासन सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी-प्रथम, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
2.	राजेन्द्र कुमार गोयल	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी आयुक्त आबकारी, उदयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
3.	नीता विजय मिश्रा	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर	रिक्त पद पर
4.	महेन्द्र कुमार बिडियासर	संयुक्त विधि परामर्शी आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी आयुक्त आबकारी, उदयपुर	गोयल के स्थान पर
5.	पवन कुमार तंवर	संयुक्त विधि परामर्शी निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	संयुक्त विधि परामर्शी आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर	बिडियासर के स्थान पर
6.	धर्मेन्द्र दादवानी उप विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी आयुक्त आबकारी, उदयपुर	आर्य के स्थान पर संयुक्त विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध
7.	हरिराम पुरोहित	संयुक्त विधि परामर्शी कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
8.	सुलेखा शर्मा संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (करापवंचन) राजस्थान वृत्त, जयपुर	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	मिश्रा के स्थान पर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध
9.	आशु माहेश्वरी	उप विधि परामर्शी आयुक्त आबकारी, उदयपुर	उप विधि परामर्शी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	देवड़ा के स्थान पर
10.	शंकर सिंह देवड़ा	उप विधि परामर्शी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	उप विधि परामर्शी आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	प्रदीप के स्थान पर

11.	प्रदीप चौधरी सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	उप विधि परामर्शी निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	दादवानी के स्थान पर उप विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध
12.	चांद कुमार पालीवाल सहायक विधि परामर्शी	सहायक विधि परामर्शी निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	उप विधि परामर्शी आयुक्त आबकारी, उदयपुर	माहेश्वरी के स्थान पर
13.	महेश चन्द गौड़	उप विधि परामर्शी नगर निगम, अजमेर	उप विधि परामर्शी निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	ठकुरानी के स्थान पर
14.	भारती ठकुरानी	उप विधि परामर्शी निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	उप विधि परामर्शी नगर निगम, अजमेर	गौड़ के स्थान पर
15.	अशोक कुमार टेलर	सहायक विधि परामर्शी विधि (प्रकोष्ठ-5) विभाग, सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	रिक्त पद पर
16.	शबाना कुरैशी	सहायक विधि परामर्शी मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	रिक्त पद पर
17.	सुमित शर्मा	सहायक विधि परामर्शी विधि याचिका (क्रिमिनल) ग्रुप-4 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी विधि (प्रकोष्ठ-5) विभाग, सचिवालय, जयपुर	टेलर के स्थान पर
18.	अजय अग्रवाल	सहायक विधि परामर्शी आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	भारती के स्थान पर
19.	अनामिका भूषण	सहायक विधि परामर्शी पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी हरीश चन्द्र माथुर, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर (ओटीएस)	मिन्तुका के स्थान
20.	जगमोहन मिन्तुका	सहायक विधि परामर्शी हरीश चन्द्र माथुर, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर (ओटीएस)	सहायक विधि परामर्शी निदेशालय पशुपालन, जयपुर	रूचि अग्रवाल के स्थान पर
21.	भारती शर्मा	सहायक विधि परामर्शी ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	भूषण के स्थान पर
22.	रूचि अग्रवाल,	सहायक विधि परामर्शी निदेशालय पशुपालन, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी विधि याचिका (क्रिमिनल) ग्रुप-4 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सुमित के स्थान पर
23.	हेमन्त कुमारी	सहायक विधि परामर्शी नगर परिषद्, श्रीगंगानगर	सहायक विधि परामर्शी आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	अजय अग्रवाल के स्थान पर
24.	कविता चारण	कनिष्ठ विधि अधिकारी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशक, सम्पदा निदेशालय, जयपुर	रिक्त पद पर

25.	रामनिवास मीना	कनिष्ठ विधि अधिकारी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, निदेशालय उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
-----	---------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

आज्ञा से

14-1-22  
(अंकित रमन)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

14-1-22  
संयुक्त शासन सचिव